

सं. डब्ल्यू-02/0039/2017-डीपीई(डब्ल्यूसी)-जीएल-1/2022

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
लोक उद्यम विभाग

\*\*\*\*

लोक उद्यम भवन  
ब्लॉक सं. 14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,  
लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003  
दिनांक: 24 जनवरी, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: - केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) में गैर-संघीय पर्यवेक्षकों सहित बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के पदों पर दिनांक 01.01.2017 से वेतनमानों का संशोधन - संशोधित दरों पर आईडीए का भुगतान से संबंधित।

\*\*\*\*\*

अधोहस्ताक्षरी को डीपीई के दिनांक 03.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 7 और अनुबंध-III (ख) का अवलोकन करने का निदेश हुआ है, जिसमें बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और सीपीएसईज़ के गैर-संघीय पर्यवेक्षकों को देय डीए की दरों को इंगित किया गया है। 2017 के वेतनमानों के लिए दिनांक 01.01.2022 से 29.4% डीए की दर सीपीएसईज़ के अधिकारियों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों को देय है।

2. डीए की उपरोक्त दर अर्थात् 29.4% आईडीए कर्मचारियों के मामले में लागू होगी, जिन्हें डीपीई के दिनांक 03.08.2017, 04.08.2017 और 07.09.2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार संशोधित वेतनमान (2017) की अनुमति दी गई है।
3. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त को आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के ध्यान में लाएं।
4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

समसुल हक  
(समसुल हक)  
अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में सलाहकार।
3. व्यय विभाग, ई-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
4. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
5. इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

समसुल हक  
(समसुल हक)  
अवर सचिव